

प्रश्न सं. [क. 3587]

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

आदेशः

भोपाल, दिनांक 29/8/2022

कमांक एफ 44-12/2019/20-2, प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का वजन कम करने के संबंध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03/07/2019 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

2/ राज्य शासन एतद्वारा उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के परिपत्र कमांक एफ 1-4/2018-15-3 दिनांक 24.11.2020 द्वारा जारी "स्कूल बैग पॉलिसी 2020" के परिपालन में प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बैग हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित करता है:-

2.1. विद्यार्थियों के लिए कक्षावार पुस्तकों का वजन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

| क्र. | कक्षा | बस्ते के वजन की सीमा |
|------|-----------|---|
| 1 | पहली | 1.6-2.2 |
| 2 | दूसरी | 1.6-2.2 |
| 3 | तीसरी | 1.7-2.5 |
| 4 | चौथी | 1.7-2.5 |
| 5 | पाँचवी | 1.7-2.5 |
| 6 | छठवी | 2.0-3.0 |
| 7 | सातवीं | 2.0-3.0 |
| 8 | आठवीं | 2.5-4.0 |
| 9 | नौवीं | 2.5-4.5 |
| 10 | दसवीं | 2.5-4.5 |
| 11 | ग्यारहवीं | बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा। |
| 12 | बारहवीं | |

30/8/22 2.2. राज्य शासन द्वारा निर्धारित एवं NCERT द्वारा नियत पाठ्यपुस्तकों से अधिक पुस्तकें विद्यार्थियों के बस्ते में नहीं होना चाहिए।

2.3. कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाए, जबकि कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह अधिकतम 2 घंटे, कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटे और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जाए।

(आर. के. त्रिवेदी)
विदेश, कर्मसुख, अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

विद्यालय संचालक
स्कूल शिक्षण संवित्त संस्थान
म. प्र. भोपाल

- 2.4. प्रत्येक रकूल को नोटिस बोर्ड एवं कक्षा कक्ष में बरस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित करना होगा। रकूल डायरी का वजन भी बरस्ते के वजन में ही सम्मिलित किया जाए।
- 2.5. शाला प्रबंधन समिति के द्वारा ऐसी समय-सारणी तैयार की जाए, जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन सभी पुस्तकों/आभ्यास, पुस्तिकाओं/कापियां नहीं लानी पड़े और बरस्ते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
- 2.6. शाला प्रशासन/प्रबंधन समिति कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आभ्यास पुस्तिकाओं/वर्कबुक एवं अन्य आवश्यक सामग्रीयों को शाला में ही रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 2.7. कम्प्यूटर, नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान के लिए कक्षाएं बिना पुस्तकों के लगाई जाए। स्वारथ्य, शारीरिक शिक्षा, खेल एवं कला की कक्षाएं भी बिना पुस्तकों के लगाई जाए।
- 2.8. रकूल बैग हल्के वजन के हो, जो कि दोनों कंधों पर आसानी से फीट हो सके। विद्यार्थियों को शाला में ढाँची बैग लाने की अनुमति नहीं होगी।
- 2.9. पालकों के साथ संबाद के लिए शिक्षक डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें। समय-समय पर रकूल बैग के वजन की चर्चा मिडिया और शाला प्रबंधन समिति के साथ की जाए, जिससे सभी हितग्राही बरस्ते के वजन के संबंध में जागरूक हो सके।
- 2.10. सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिचस होगा। इस दिवस व्यवसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां कराई जाएं।
- 2.11. जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में रेंडमली शालाओं का चयन कर प्रत्येक तीन माह में रकूल बैग के वजन की जांच करेंगे और बरस्ते का वजन निर्धारित सीमा में हो, यह सुनिश्चित करेंगे।

उवता आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रमोद सिंह)
20/12/2021

उप सचिव

म.प्र.शासन, रकूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठ क्रमांक एफ 44-12/2019/20-2

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
- विशेष सहायक, राज्यमंत्रीजी, रकूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
- उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/आदिमं जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल
- आयुक्त लोक शिक्षण/आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल
- संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल

7. संचिद, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल
8. समस्त राजभागायुक्त, मध्यप्रदेश
9. समरत वालेवटर, मध्यप्रदेश
10. समरत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
11. समस्त रायुक्त राजालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
12. समरत जिला शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना समन्वयक मध्यप्रदेश की ओर सूचनाथी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. आर्डर बुकः

१२
२९/४/२०२२
उप सचिव

म.प्र. शासन राजकूल शिक्षा विभाग

आरती दुबे:

(आर. के. त्रिवेदी)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, राजकूल शिक्षा विभाग

राजकूल शिक्षा विभाग
म.प्र. शासन, भोपाल